

291
29/6/18

2018/00 215

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

मेहवा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अमीनोकाशार की बस्ती की जमाबन्दी

संवत् 2074-77 खाता संख्या में -


मेरा नाम सिफियाजो साहू 513 रज है। उस शरी
पुत्र खरीदी की। शरुठरी में नाम लकी रज है
तथा नामोवरकरण में नाम लकीथा परना ठर
नाम गालर है जो कि दुरुस्त कर सिरीक 510/513
करने की कृपा करावी।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

अनिसिरीक

दिनांक : 29/6/18



रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

पार्थी द्वारा ग्राम वामणोर अमीरशाह के क्षेत्र खसरा सं 265 का 60 बीघा अर्धे पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 23-11-17 को क्रय किया गया था जिसका नामांतरण संख्या 208 एच. डि 22-11-15 द्वारा किया गया था जिसमें क्रय का नाम सिद्धिक पुत्र साईदाद कोम मुसलमान दर्ज है। पार्थी द्वारा प्रत्येक आधा कार्ड, राशनकार्ड के सिद्धिक पुत्र साईदाद हैं। राजस्व रेकॉर्ड में कि सिद्धिक पुत्र साईदाद दर्ज है। प्रत्येक पंजिकृत दस्तावेज नामांतरण व साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर नाम शुद्ध किया जाने की अनुशंसा की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

29/11/18
12
19/11/18

SI/2
निवेदन है कि पार्थी के आर्केड नका देश राजस्थान का अमीरशाह नकल का क्रय देश अमीरशाह नका 6 एका 42 बीघा 5 अंश का क्रय करवा करवाया है जो कि सिद्धिक पुत्र साईदाद के नाम पर सिद्धिक पुत्र साईदाद द्वारा करने की अनुशंसा की जाती है।
आदेश

29/11/18
तहसीलदार (भू.अ.) मेड़वा

तहसीलदार मेड़वा, GUR मेड़वा पटवारी वामणोर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पार्थी द्वारा देश दस्तावेजों के आधार पर पार्थी का अर्धे का पत्र स्वीकार कर पार्थी का क्रय सिद्धिक पुत्र साईदाद के आधार पर शुद्ध नाम सिद्धिक पुत्र साईदाद द्वारा करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की फावना हेतु तहसीलदार मेड़वा के आदेश दिया जाता है। पत्रावली क्रम सं 208 होकर दायित्व दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी

